


गंडक नदी

हाल ही में [नमामांगीरे कार्यक्रम](#) के तहत बिहार के गोपालगंज ज़िले में गंडक नदी पर रविरे फ्रंट के विकास के साथ ही दो घाटों का निर्माण भी किया गया है।

- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016** के अनुसार, भैसलोटन बैराज से लेकर बिहार के हाजीपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम स्थान तक गंडक नदी को देश भर के 111 अन्य NW के साथ **राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-37** के रूप में नामित किया गया था।
- River Gandak was declared as **National Waterway (NW)-37** from Bhaissalotan Barrage to Gandak and Ganga River confluence at Hajipur, Bihar along with 111 NWs in the country vide **National Waterways Act, 2016**.

गंडक नदी के संबंध में प्रमुख तथ्य:

- **परिचय:**
 - गंडक नदी को **नेपाल में गंडकी** और **नारायणी नदी** के नाम से भी जाना जाता है। यह **भारत तथा नेपाल के उत्तरी भाग** से होकर बहने वाली एक महत्त्वपूर्ण नदी है।
 - बिहार में [वालमीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रज़िर्व](#) इस नदी के तट पर स्थित हैं।
- **स्रोत:**
 - गंडक नदी **नेपाल सीमा के पास तबिबत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर** की ऊँचाई से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक वसित है, जिसमें भारत में इसका वसित क्षेत्र 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है।
- **जल निकासी बेसिन:**
 - गंडक नदी का कुल जल निकासी बेसिन क्षेत्र 29,705 वर्ग किलोमीटर है।
 - यह नदी भारत के **बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है** तथा हाजीपुर के नचिले भाग में पटना के पास [गंगा](#) में जाकर मिलती है।
- **सहायक नदियाँ:**
 - गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मायांगडी, बारी, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक शामिल हैं।



राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016:

- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016** भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे मार्च 2016 में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में अंतरदेशीय नदियों और **नहरों** सहित 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है।
 - अधिनियम का उद्देश्य अंतरदेशीय जल परिवहन के विकास को बढ़ावा देना और वस्तुओं एवं यात्रियों हेतु परिवहन का वैकल्पिक साधन प्रदान करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

